न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
89 / 2022	26.05.2022	25.07.2023

अनवान

1. उदय लाल पुत्र ऊंकार जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. मंजु बाई पत्नि रमेश चन्द्र जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. लेहरू लाल पिता चम्पा लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. घनश्याम पिता राधाकिशन भांबी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. पुरूषोतम पिता राधाकिशन भांबी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. मांगी लाल पिता भैरा भांबी आयु वयस्क निवासी ताणा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
6. उदेराम पिता माधु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. श्यामु बाई पिता माधु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. गंगा पत्नि माधु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री अनिल नामधर — प्रार्थी

एक तरफा — अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, [illegible]स्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तालाबपंच मौजा पटवार हल्का कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 2 [illegible] आराजी संख्या 98 कुल किता 01 कुल रकबा 0.59 हैक्ट0, कृषि भूमि प्रार्थी [illegible] खातेदारी एवं कब्जे [illegible] की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी [illegible]दारान है। प्रार्थी एवं [illegible] की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 25.07.2023 को हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा तालाबपंच मौजा पटवार हल्का कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 2 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 98 कुल किता 01 कुल रकबा 0.59 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:55:26 IST
Reason: SelfAttested